भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4716
(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)
कारपोरेट क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव

4716. श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आरंभ के बाद से अब तक कारपोरेट क्षेत्र की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और
(ख) कारपोरेट क्षेत्र जीएसटी द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): जीएसटी की शुरूआत एक सरलीकृत कर व्यवस्था के साथ भारत को एक समान राष्ट्रीय बाजार में बदलने का एक ऐतिहासिक कदम था। जीएसटी दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और औद्योगिक एवं कारपोरेट जगत द्वारा इसका स्वागत किया गया। सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संघों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले कारपोरेट क्षेत्र ने भारत में जीएसटी की शुरुआत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(i) जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 (जीएसटी के बाद) की अवधि के दौरान पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या 68,299 है। पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि अर्थात् जुलाई, 2016 से फरवरी, 2017 के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या 63,106 थी। इस प्रकार, कंपनियों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति जीएसटी के बाद भी जारी है।

(ii) औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) चुनी गई उत्पादन इकाइयों के मासिक उत्पाद आंकड़ों पर आधारित एक औद्योगिक गतिविधियों का एक प्रमुख सूचकांक हैं। आईआईपी की औसत वृद्धि दर जुलाई, 2016 से जनवरी, 2017 के 3.9% की तुलना में जुलाई, 2017 से जनवरी, 2018 के दौरान 5% थी। जीएसटी की शुरुआत के बाद औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि कारपोरेटों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 2017-18 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमशः 7.2% और 11.3% रही। वर्ष 2016-17 की दूसरी और तीसरी

तिमाही के लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः 1.9% और 2.8% रहे। इस प्रकार, कारपोरेटों के लिए बिक्री में वृद्धि भी जीएसटी अवधि के बाद अभी तक महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी देखी गई है।

(iv) इसके अतिरिक्त, जीडीपी की समग्र वृद्धि दर भी वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.5% से बढ़कर तीसरी तिमाही में 7.2% हुई है। वर्ष 2016-17 के लिए ये आंकड़े क्रमशः 7.6% और 6.8% थे।

(ख): जीएसटी की शुरुआत स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा कर सुधार था। जीएसटी की शुरुआत ने अलग-अलग करों को कम किया है और इस प्रकार व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एक अपेक्षाकृत सरल कर व्यवस्था तैयार की है। कई करों के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करते हुए, जीएसटी द्वारा वस्तुओं की कीमत में कमी होने की आशा है। इससे हमारे व्यवसाय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होंगे जो अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण और समग्र विकास के साथ-साथ कारपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे।

*****